भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश

राज्य मुख्यालय,
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल म.प्र. ।

Phone :(0755)2661263,2737446 Fax: (0755)2661263
Website:bsgmp.net E_mail:bsgmadhyapradesh@gmail.com
अध्यक्ष : श्री अशोक अर्गल राज्य मुख्य आयुक्त : श्री पारसचंद्र जैन

क्रमांक/2849/रा.मु./कार्या. अधी./2018 भोपाल, दिनांक 11.9.18

प्रति,

समस्त सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)
भारत स्काउट एंव गाइड मध्यप्रदेश
समस्त संभागीय कार्यालय ।

विषयः– **भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. संविदा कर्मचारी सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 ।**
संदर्भः– **राज्य कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 28.08.2018 ।**

***

उपरोक्त विषयांर्तगत लेख है कि भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र. की राज्य कार्यकारिणी बैठक दिनांक 28 अगस्त 2018 में लिये निर्णयानुसार भारत स्काउट एंव गाइड मध्यप्रदेश में कार्यरत एवं भविष्य में नियुक्त होने वाले संविदा कर्मचारियों के लिये **"भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. संविदा कर्मचारी सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018" दिनांक 01.09.2018 से प्रभावशील किये गये हैं। इन नियमों की प्रति आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।**

कृपया उक्त नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत आपके अधिनस्थ संभाग एवं जिलों में कार्यरत संस्था के सभी संविदा कर्मचारियों को उपलब्ध करावें। भविष्य में इन नियमों एंव प्रावधानों के अनुसार कार्य संपादित होगा।

संलग्न : उक्तानुसार
(राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(आलोक खरे)
राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.

पृ. क्रमांक/2850/रा.मु./कार्या. अधी./2018 भोपाल, दिनांक 11.9.18

प्रतिलिपिः–

1. राज्य मुख्य आयुक्त, भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., राज्य मुख्यालय भोपाल ।
2. राज्य कोषाध्यक्ष, भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., राज्य मुख्यालय भोपाल ।
3. संयुक्त राज्य सचिव, भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., राज्य मुख्यालय भोपाल ।
4. लेखाधिकारी/गणक, भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., राज्य मुख्यालय भोपाल ।
5. राज्य संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड), राज्य मुख्यालय भोपाल ।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म.प्र.।
7. समस्त जिला संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड), भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र.।
8. कार्यालय अधीक्षक, भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., राज्य मुख्यालय भोपाल ।
9. वार्डन, भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, गांधीनगर, भोपाल ।
10. स्थापना/मास्टर फाईल ।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. में कार्यरत संविदा कर्मचारियों हेतु नियम एवं सेवा शर्ते (01 सिंतबर 2018 से प्रभावशील)

1/ प्रस्तावना – भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. के क्रियाकलापों को संपादित करने हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार पद स्वीकृत किये गये थे :-

राज्य मुख्यालय हेतु –

क्र.	पद	पद संख्या
1	राज्य सचिव	1
2	जन सम्पर्क अधिकारी	1
3	संयुक्त सचिव	1
4	सहायक राज्य सचिव	1
5	लेखाधिकारी	1
6	कार्यालय अधीक्षक	1
7	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	1
8	लेखापाल	1
9	स्टेनो ग्राफर	1
10	सहायक ग्रेड-2	1
11	स्टोर कीपर	1
12	सहायक ग्रेड-3	5
13	स्टेनो टाइपिस्ट	1
14	रिकार्ड कीपर	1
15	कैशियर	1
16	हिन्दी एवं अंग्रेजी टाइपिस्ट	2
17	दफ्तरी	2
18	चौकीदार	1
19	भृत्य	3

विक्रय भण्डार हेतु –

20	सेल्स मेनेजर	1
21	एकाउन्टेंट कम केशियर	1
22	सहायक ग्रेड-3	1
23	पेकर	2

आर्गेनाजर स्टाफ –

24	राज्य संगठन आयुक्त स्काउट	1
25	राज्य संगठन आयुक्त गाइड	1

संभागीय कार्यालयों हेतु –

26	सहायक राज्य संगठन आयुक्त स्काउट	10
27	सहायक राज्य संगठन आयुक्त गाइड	5
28	सहायक ग्रेड-3	10
29	भृत्य	10
30	चौकीदार	10

जिला कार्यालयों हेतु –

31	जिला संगठक स्काउट	20
32	जिला संगठक गाइड	20
33	सहायक ग्रेड–3	20
34	भृत्य	20

नोट – म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 62/01/83/9–5/20 दिनांक 20.12.1983 के द्वारा वाहन चालक का 01 पद पृथक से स्वीकृत किया गया।

शासन आदेश क्रमांक एफ 73–110/96/20–5 दिनांक 01.01.1996 द्वारा निम्नाकिंत पद समाप्त कर दिये गये –

क्र.	पद	पद संख्या
5	जिला संगठक (स्काउट)	9
6	जिला संगठक (गाइड)	14
7	मानसेवी जिला संगठक स्काउट/गाइड	10
8	निम्न श्रेणी लिपिक	12
11	चतुर्थ श्रेणी (भृत्य)	24
योग		69

शासन द्वारा पद समाप्त किये जाने से भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. की गतिविधियां प्रभावित हुई अतः समय–समय पर आवश्यकतानुसार संविदा कर्मियों की नियुक्ति राज्य कार्यकारिणी के अनुमोदन अनुसार की गई। वर्तमान में भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. राज्य मुख्यालय एवं विभिन्न कार्यालयों में निम्नानुसार संविदा कर्मी कार्यरत है–

क्र.	पद	कर्मचारियों की संख्या
1	संविदा लेखाधिकारी	1
2	संविदा कार्यालय अधीक्षक	1
3	संविदा सहायक राज्य संगठन आयुक्त (गाइड)	1
4	संविदा जिला संगठन आयुक्त (स्काउट)	15
5	संविदा जिला संगठन आयुक्त (गाइड)	3
6	संविदा कम्प्यूटर ऑपरेटर	11
7	संविदा कार्यालय सहायक	4
8	संविदा वार्डन	1
9	संविदा कटर	1
10	संविदा वाहन चालक	1
11	संविदा भृत्य	2
योग		41

वर्तमान में लगभग 41 संविदा कर्मचारी विभिन्न पदो पर कार्यरत है, किन्तु इनके संबंध में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश न होने से कुछ विसंगतियां निर्मित हो रही है। अतः भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. अन्तर्गत कार्यरत एवं भविष्य में नियुक्त होने वाले संविदा कर्मचारियों के लिए नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये जाने की आवश्यकता है।

2/ संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ – इन नियमों का संक्षिप्त नाम "भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. संविदा कर्मचारी सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018" है ये नियम 01 सितम्बर 2018 से प्रवृत होंगे।

3/ विस्तार तथा लागू होना – "भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र., सेवा नियम सेवा की सामान्य शर्ते 1999 यथा संशोधित 2008" में दिये गये उपवन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम समस्त संविदा कर्मचारियों पर लागू होंगे।

4/ परिभाषा – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, विभिन्न परिभाषाएं "भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र., सेवा नियम सेवा की सामान्य शर्ते 1999 यथा संशोधित 2008" में दर्शाए अनुसार होगी।

5/ भर्ती का तरीका – इन नियमों के प्रवृत होने के पश्चात् भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. अन्तर्गत होने वाली कोई भी भर्ती "भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र., सेवा नियम सेवा की सामान्य शर्ते 1999 यथा संशोधित 2008" के प्रावधानों के तहत होगी। ये नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी एवं कार्य की आवश्यकतानुसार होंगी।

6/ पदो का वर्गीकरण – संविदा कर्मचारियों के पद भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. अन्तर्गत स्वीकृत नियमित पदों के अनुरूप होंगे। इन पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार समय-समय पर कम अथवा अधिक की जा सकेगी। शासन द्वारा नियमित पदो की स्वीकृति होने के उपरान्त नियमित पदों की पूर्ति हो जाने पर उतनी संख्या में समकक्ष संविदा कर्मचारियों के पद समाप्त किये जा सकेंगे।

7/ संविदा नवीनीकरण – संविदा पर नियुक्त समस्त कर्मचारियों का प्रतिवर्ष संविदा नवीनीकरण किया जायेगा। यह नवीनीकरण कार्य, व्यवहार एवं प्रतिवर्ष लिखी जाने वाली वार्षिक गोपनीय चरित्रावली के आधार पर होगा।

कार्यव्यवहार प्रतिवेदन/चरित्रावली हेतु निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित होगी :-

क्र.	पद	प्रथम मताकंनकर्ता अधिकारी	द्वितीय मताकंनकर्ता अधिकारी	अंतिम मताकंनकर्ता अधिकारी
1	संविदा लेखाधिकारी	राज्य सचिव	राज्य कोषाध्यक्ष	राज्य मुख्य आयुक्त
2.	संविदा सहा. राज्य संगठन आयुक्त	एस.ओ.सी. (स्का./गा.)	राज्य सचिव	राज्य आयुक्त (स्काउट/गाइड)
3	संविदा जिला संगठक (स्काउट/गाइड)	संबंधित ए.एस.ओ.सी. (स्का./गा.)	एस.ओ.सी. (स्का./गा.)	राज्य सचिव
4	संविदा कम्प्यूटर आपरेटर	कक्ष प्रभारी / संबंधित ए.एस.ओ.सी. (स्का./गा.)	संयुक्त राज्य सचिव	राज्य सचिव/ राज्य कोषाध्यक्ष (लेखा शाखा के कर्मचारियों हेतु)

Az

5	संविदा कार्यालय सहायक	नियंत्रणकर्ता अधिकारी	संयुक्त राज्य सचिव	राज्य सचिव/ राज्य कोषाध्यक्ष (लेखा शाखा के कर्मचारियों हेतु)
6	संविदा वार्डन	एस.टी.सी. (स्काउट)	एस.ओ.सी.	राज्य सचिव
7	संविदा वाहन चालक	वाहन प्रभारी		राज्य सचिव
8	संविदा भृत्य	कार्यालय प्रमुख / कार्यालय अधीक्षक	संयुक्त राज्य सचिव	राज्य सचिव

अंतिम मताकंन के विरूद्ध राज्य मुख्य आयुक्त को अपील की जा सकेगी एवं राज्य मुख्य आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

नियमित पदों के अतिरिक्त कार्यरत संविदा कर्मचारियों के कार्यव्यवहार प्रतिवेदन उनके तात्कालिक अधिकारियों के माध्यम से सीधे राज्य सचिव को प्रस्तुत किया जावेगा।

कार्य व्यवहार प्रतिवेदन "ख" श्रेणी से कम होने पर संविदा अवधि में वृद्धि नही की जावेगी।

8/ संविदा पारिश्रमिक – संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों हेतु निम्नानुसार संविदा पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है –

क्र	पद का नाम	नियुक्ति दिनांक पर संविदा पारिश्रमिक	5 वर्ष की निरन्तर सेवा उपरान्त संविदा पारिश्रमिक	10 वर्ष की निरन्तर सेवा उपरान्त संविदा पारिश्रमिक	रिमार्क
1	संविदा जिला संगठ्न आयुक्त (स्काउट/गाइड)	8000	कलेक्टर द्वारा उच्च कुशल कर्मचारियों हेतु कार्यरत अवधि में निर्धारित पारिश्रमिक	समकक्ष नियमित पद का छर्व्वे वेतनमान में निर्धारित मूल वेतन एवं 10 वर्ष की समयावधि पूर्ण होने के समय में शासन द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की 50 प्रतिशत राशि को जोड़कर 10 के गुणांक में निर्धारित राशि। भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. के नियमित कर्मचारियों को 7वां वेतनमान स्वीकृत होने के पश्चात् 7वें वेतनमान के समकक्ष पद के मूल वेतन के बराबर राशि देय होगी। किन्तु किसी भी दशा में पूर्व में प्राप्त हो रहे संविदा पारिश्रमिक से कम पारिश्रमिक देय नही होगा।	संविदा डी. ओ.सी. केए. एल.टी. कोर्स करने पर 500 रूपये एवं एल.टी. कोर्स करने पर 500 रूपये की अतिरिक्त वृद्धि की जा सकेगी।

2	संविदा कम्प्यूटर ऑपरेटर	7500	कलेक्टर द्वारा कुशल कर्मचारियों हेतु कार्यरत अवधि में निर्धारित पारिश्रमिक	---''----	
3	संविदा कार्यालय सहायक	7500	कलेक्टर द्वारा कुशल कर्मचारियों हेतु कार्यरत अवधि में निर्धारित पारिश्रमिक	---''----	
4	संविदा वाहन चालक	7000	कलेक्टर द्वारा अर्धकुशल कर्मचारियों हेतु कार्यरत अवधि में निर्धारित पारिश्रमिक	---''----	
5	संविदा भृत्य	6500	कलेक्टर द्वारा अकुशल कर्मचारियों हेतु कार्यरत अवधि में निर्धारित पारिश्रमिक	---''----	

नोट–

(1) संविदा पारिश्रमिक का भुगतान शासन से वेतन मद में प्राप्त होने वाली अनुदान राशि से नहीं किया जावेगा, अपितु भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. को विभिन्न स्त्रोंतो से प्राप्त होने वाली आय से किया जा सकेगा, जिसमें शासन से अन्य मदो में प्राप्त राशि शामिल होगी एवं शासन अनुमति से समस्त संविदा कर्मचारियों को पारिश्रमिक राशि देय होगी।

(2) संविदा कर्मचारियों को उपरोक्तानुसार निश्चित संविदा पारिश्रमिक प्रदाय किया जायेगा, जिसमें शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते अनुसार कोई परिवर्तन नही हो सकेगा, किन्तु प्रतिवर्ष संविदा पारिश्रमिक में 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए संविदा अवधि का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

(3) संविदा पारिश्रमिक में आवशकता अनुसार परिवर्तन का अधिकार राज्य कार्यकारिणी को होगा, किन्तु यह परिवर्तन एक समान रूप से सभी संविदा कर्मचारियों पर प्रभावशील होगा।

(4) सेवा निवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों, वार्डन एवं कटर का पारिश्रमिक समय समय पर कार्यकारिणी द्वारा निर्धारण अनुसार होगा।

(5) संविदा में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति ''भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र., सेवा नियम सेवा की सामान्य शर्ते 1999 यथा संशोधित 2008'' में दर्शाए अनुसार होगी तथा शासकीय सेवा/ नियमित सेवा के पश्चात् अधिकारी/कर्मचारी की सेवा निवृत्ति आयु 65 वर्ष होगी, जिसे कार्यकारिणी अधिकतम 5 वर्ष तक बढा सकेगी।

(6) संविदा कर्मचारियों को 5 एवं 10 वर्ष उपरान्त प्राप्त होने वाले संविदा पारिश्रमिक का लाभ 5 एवं 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त आगामी 1 जनवरी से देय होगा।

Ar

9/ निरर्हताएं –

(1) किसी अभ्यार्थी की ओर से अपनी अभ्यार्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, परीक्षा/चयन में उसके उपस्थित होने के लिये निरर्हता माना जा सकेगा।

(2) कोई भी अभ्यार्थी, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा ।

(3) कोई भी अभ्यार्थी, जो किसी ऐसे अपराध के लिये दोष सिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अद्यमता अंर्तग्रस्त हो, किसी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परन्तु जहां उम्मीदवार के विरूद्ध ऐसे मामले लंबित हो तो वहां ऐसे अभ्यार्थी की नियुक्ति आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखी जाएगी।

(4) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 में दिये गये प्रावधान एवं समय–समय पर शासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार निरर्हताएं अभ्यार्थियों के लिये लागू होगें।

(5) कोई भी अभ्यार्थी जिसके दो से अधिक जीवित संतान हो यदि जिनमें से एक का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो तो किसी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परन्तु कोई भी अभ्यार्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य नहीं होगा।

10/ इन नियमों के प्रवृत होने के दिनांक से मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना क्रमांक–एफ–6–1/2002/आ.प्र./एक, दिनांक 19 सितम्बर, 2002 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण) नियम, 1998 और राज्य शासन द्वारा, समय–समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसरण में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यार्थियों के लिये पद आरक्षित किए जाऐंगे।

11/ नियुक्त किये गये संविदा कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से तीन वर्ष तक पदस्थापना परिवर्तन नही किया जायेगा। तीन वर्ष की समयावधि के उपरान्त प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अथवा व्यक्तिगत विशेष परिस्थितियों के आधार पर रिक्त स्थान पर पदस्थापना परिवर्तन किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

12/ संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान एक वर्ष में 13 आकस्मिक अवकाश एवं 3 ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी एवं 05 वर्ष की समयावधि पूर्ण करने पर 20 दिवस का अर्धवैतनिक चिकित्सा अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 01 वर्ष में प्रदान किया जावेगा जा सकेगा।

13/ अपरिहार्य परिस्थितियों में उक्त नियमों को शिथिल करने का अधिकार राज्य मुख्य आयुक्त को होगा जिसका कार्यकारिणी में अनुमोदन किया जा सकेगा।

(राज्य कार्यकारिणी बैठक दिनांक 28 अगस्त 2018 में अनुमोदित)

(आलोक खरे)
राज्य सचिव
भारत स्काउट एंव गाइड मध्यप्रदेश